न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 20 / 16 / 136 एलआर

संतोषी बेवा रामदेव आयु 61 वर्ष जाति मीणा निवासी भगतपुरा प.मं. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थीया

ब ना म

तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं.धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम वास्ते नाम शुद्धि

उपस्थिति—

1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थीया की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2017

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम भगतपुरा प.मं. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीया के स्व. पति रामदेव पुत्र चौथूराम जाति मीणा नि. भगतपुरा के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि नये खसरा नं. 37, 38 व 70 ता 80 जिसमें ख.नं. 74 शामिल नहीं व खसरा नं. 83 रकबा कमशः 0.23 है0, 0.19 है0, 0.22 है0, 0.18 है0, 0.31 है0, 0.22 है0, 0.21 है0, 0.23 है0, 0.23 है0, 0.24 है0, 0.25 है0, 0.34 है0 व 0.09 है. किता 13 कुल रकबा 2.94 है. ग्राम भगतपुरा में अवस्थित है जिनमें प्रार्थी के स्व. पति रामदेव पुत्र चौथूराम का 1/16 हि. खातेदारी में दर्ज रहा हैं। कृषि भूमि नये खसरा नं. 220, 221, 234, 235, 238, 263, 275 किता 7 कुल रकबा 4.09 है0 ग्राम भगतपुरा प.मं. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीया के स्व. पति रामदेव पुत्र चौथूराम का 1/4 हि. खातेदारी में दर्ज रहा है। कृषि भूमि नये खसरा नं. 89, 119, 120, 121 व 122 किता 5 कुल रकबा 2.64 है0 ग्राम भगतपुरा प.मं. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थीया के स्व. पति रामदेव पुत्र चौथूराम का 1/8 हि. खातेदारी में दर्ज रहा है। उक्त कृषि भूमियों के कब्जे काश्त व खातेदारी के बारे में किसी भी खातेदार काश्तकार से किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है सिर्फ प्रार्थीया के स्वयं के नाम के संशोधन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है। प्रार्थीया के स्व. पति रामदेव पुत्र चौथूराम जाति मीण नि. भगतपुरा की मृत्यु होने पर स्व. रामदेव के वारिसान प्रार्थीया संतोषी देवी बेवा रामदेव व रोहिताश, महिपाल पुत्रगण रामदेव के नाम से ना. करण भरा जाना चाहिए था किन्तु प्रशासन गांवा के संग अभियान के दौरान गांव वालों द्वारा बताये अनुसार या सहवन से प्रार्थीया संतोषी देवी के वास्तविक नाम के स्थान पर शांति बेवा रामदेव अंकित हो गया। प्रार्थीया का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र संतोषी पत्नी रामदेव, बैंक पास बुक में संतोषी धर्मपत्नी रामदेव, सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. द्वारा खाता बंद की सूचना में संतोषी देवी पत्नी रामदेव, कार्यालय पंचायत समिति पिपराली ने प्रार्थीया की

खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

विधवा पेंशन हेतु जो आदेश जारी किया जो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें अंकित किया है "कि रिपोर्ट पटवारी एवं नायब तहसीलदार की सिफारिश के अनुसार आपके स्व. पति के नाम कृषि भूमि निर्धारित मापदण्ड से अधिक है अतः पेंशन प्रकरण निरस्त किया जाता है।" जिसमें भी नाम संतोषी बेवा रामदेव अंकित है एवं राशन कार्ड में भी संतोष बेवा रामदेव अंकित है। सभी दस्तावेजी साक्ष्य में संतोषी या संतोष बेवा रामदेव अंकित है। शांति बेवा रामदेव कहीं भी अंकित नहीं है। शांति बेवा रामदेव जाति मीणा निवासी भगतपुरा नाम से अन्य कोई औरत नहीं है। प्रार्थीया का ही नाम संतोषी की जगह शांति राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ होकर अंकित चला आ रहा है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम शांति न होकर संतोषी है। प्रार्थीया संतोषी के नाम के स्थान पर शांति नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर लगातार चले जाने से प्रार्थीया के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है जिससे एक बेवा जो कि सीनियर सिटीजन है उसके खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की सख्त हक तलाफी हो रही है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सही अंकित नहीं होने से प्रार्थीया को परेशानियां तो भुगतनी ही पड़ रही है तथा सा ही प्रार्थी को जो सहायताएं प्राप्त होनी चाहिए थी वे प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए प्रार्थीया के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया आज से 3–4 माह पूर्व किसान केडिट कार्ड बनवाने गयी तो प्रार्थी का सही नाम संतोषी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से किसान केडिट कार्ड नहीं बन सका जिसकी वजह से यह आवेदन करना लाजिम आया है। प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में शांति बेवा रामदेव नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर संतोषी बेवा रामदेव अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम भगतपुरा प.मं. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित आवेदन पत्र की मद सं. 1 उप मद क, ख, ग में वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थीया के गलत अंकित नाम शांति बेवा रामदेव के स्थान पर प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम संतोषी बेवा रामदेव का अंकन कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीया ने आवेदन पत्र के समर्थन में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र के समर्थन में बीरबल पुत्र चौथूराम आयु 70 वर्ष जाति मीणा नि. ग्राम भगतपुरा(अभयपुरा) तहसील दांतारामगढ एवं मालाराम पुत्र चौथूराम आयु 73 वर्ष जाति मीणा नि. ग्राम भगतपुरा(अभयपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के शपथपत्र पेश किये गये। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुई।
3. बहस प्रार्थीया के योग्य अभिभाषक की सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया का नाम दुरूस्ती किये जाने का अनुरोध किया गया।
4. हमने प्रार्थीया के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम भगतपुरा(अभयपुरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व अभिलेख जमाबंदियों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 50 में शांति बेवा रामदेव, संवत् 2069–72 खाता सं. 25 में शांति बेवा रामदेव व जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 39 में भी शांति बेवा रामदेव दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजी साक्ष्य यथा पंचायत समिति, पिपराली द्वारा जारी पत्र, सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. पलसाना द्वारा जारी बचत खाता पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, परिवार राशन

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

कार्ड भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता पास बुक का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थीया का नाम संतोषी व संतोषी देवी बेवा रामदेव अंकित है इससे यह जाहिर है कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम शांति बेवा रामदेव न होकर संतोषीदेवी है। प्रार्थीया के आवेदन पत्र के समर्थन में गवाह बीरबल पुत्र चौथूराम जिसकी उम्र 70 वर्ष है एवं अन्य गवाह मालाराम पुत्र चौथूराम जिसकी उम्र 73 वर्ष है जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी के सहखातेदार भी है, के कथनों से इंकार नहीं किया जा सकता है प्रार्थीया का बोलता नाम शांति भी है। राजस्व अभियान के दौरान सहवन/लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थीया का वास्तविक नाम अंकित न होकर बोलता नाम अंकित हो गया लेकिन प्रार्थीया द्वारा तैयार अन्य समस्त दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम संतोषी देवी ही है न कि शांति। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का नाम दुरूस्त किा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीया संतोषी का आवेदन अं.धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 50, जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 25 एवं जमाबंदी संवत् 2069–72 खाता सं. 39 वाके ग्राम भगतपुरा प.मं. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अंकित शान्ती बेवा रामदेव के स्थान पर संतोषी पत्नी स्व0 रामदेव दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner